कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

// सप्तम निविदा आमंत्रण सूचना //

रायपुर शहर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थलों में स्थापित पानी टंकी के रंग–रोगन के एवज में विज्ञापन का अधिकार हेतु

क्रमांक – 1996/भ.नि.अ.प./न.पा.नि./2022 रायपुर दिनांक 22/11/2022

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **नगर पालिक निगम रायपुर अन्तर्गत के विभिन्न स्थलों में स्थापित पानी टंकी के रंग–रोगन के एवज में विज्ञापन का अधिकार दिया जाना है, इस हेतु** 05 वर्ष के लिए इच्छुक व्यक्ति/एजेन्सी/फर्म/कंपनी, जो नगर निगम रायपुर में विज्ञापन एजेंसी के रूप में पंजीकृत हो, से अधिकतम दर प्राप्त करने सील बंद लिफाफे में **दिनांक** 31.12.22 को **अपरान्ह 5.00 बजे** तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा में भाग लेने वाले निविदाकार एजेंसी का नगर निगम रायपुर में विज्ञापन कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार का वर्ष 2019–20 का बकाया नहीं होना चाहिए, इस संबंध में एजेंसी को बकाया नहीं होने का स्वप्रमाणित पत्र जमा करना होगा। निविदा द्वि लिफाफा पद्धति में रहेगी, जिसके अन्तर्गत **लिफाफा 'अ' में** (1) अमानत राशि का FDR/DD, (2) निविदा प्रपत्र के मूल्य का डी.डी. (3) विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (4) निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड की छायाप्रति (5) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति (6) पिछले 03 वर्ष के आयकर रिटर्न की छायाप्रति। **लिफाफा 'ब' में** निविदा दर डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र में अंको में स्पष्ट लिखा होना चाहिए। निविदादर में कांट–छाट नहीं होना चाहिए। दोनों लिफाफा को एक अलग से बड़े लिफाफा में भरकर सीलबंद कर जमा करना होगा। लिफाफा 'अ' में अमानत राशि का FDR/DD, निविदा प्रपत्र का डी.डी., विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन व आयकर रिटर्न की छायाप्रति एवं किसी भी प्रकार का बकाया नहीं होने संबंधी स्व प्रमाणित पत्र पाये जाने **पर ही संबंधित एजेंसी का** लिफाफा 'ब' खोला जावेगा। निविदा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा किया जा सकेगा। निविदा दूसरे दिन उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधी के समक्ष **दिनांक** 31.12.22 **को अपरान्ह 5.00 बजे** को खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से नगर निगम के नवीन मुख्यालय (कार्यालय) भवन के नगर निवेश शाखा के रूम नं. 311 में जमा की जावेगी।

निविदा प्रपत्र मूल्य	दो हजार रूपयें, वापसी योग्य नहीं
निविदा अवधि	05 वर्ष
प्रस्तुत ऑफर की वैधता अवधि	90 दिन

क्र.	पानी टंकी का नाम	टंकी के चक्रिय सतह का क्षेत्रफल (व.मी.में) (surface Area in Sqm.)	न्यूनतम आफसेट राशि प्रथम वर्ष	अमानत राशि
1	संजय नगर	605.24	75000/-	50.00 हजार
2	महापौर निवास टेक नं. 4	417.62	100000/-	
3	देवेन्द्र नगर	564.89	100000/-	
4	डंगनिया	564.89	50000/-	
5	न्यू राजेन्द्र नगर	524.54	100000/-	
6	तेलीबांधा	417.62	100000/-	
7	शंकर नगर	605.24	100000/-	
8	कुशालपुर	417.62	75000/-	
9	ईदगाह भाठा नया	503.72	75000/-	
10	चंगोराभाठा	503.72	75000/-	
11	टाटीबंध	542.47	100000/-	
12	कबीर नगर	542.47	50000/-	
13	हीरापुर, जरवाय	542.47	50000/-	
14	कोटा	542.47	75000/-	

-----02----

Scanned with OKEN Scanner

15	लालपुर	542.47	75000/-	
16	अमलीडीह	503.72	75000/-	
17	कृषि उपज मंडी	564.89	75000/-	
18	दलदलसिवनी	503.72	75000/-	
19	सड्डू	503.72	75000/-	

टीपः– निविदा का विस्तृत विवरण नियम शर्तें एवं निविदा प्रपत्र नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamraipur.nic.in से डाऊनलोड किया जा सकता है। डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रू. 2000/– का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।

नगर पालिक निगम
नगर निवेश विभाग
रायपुर

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम,
रायपुर

Scanned with OKEN Scanner

निविदा प्रपत्र

प्रति,

नगर निवेशक,
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– रायपुर शहर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थलों में स्थापित पानी टंकी के रंग–रोगन के एवज में विज्ञापन अधिकार का कार्य हेतु ।

संदर्भ :– नगर निगम रायपुर द्वारा जारी सप्तम निविदा क्र....................जारी दिनांक .... ।

–––000–––

क्र.	पानी टंकी का नाम	टंकी के चक्रिय सतह का क्षेत्रफल (व.मी.में) (surface Area in Sqm.)	न्यूनतम आफसेट राशि (एक वर्ष)	निविदा दर प्रथम वर्ष के लिए (राशि रू. में)
1	संजय नगर	605.24	75000/-	
2	महापौर निवास टेक नं. 4	417.62	100000/-	
3	देवेन्द्र नगर	564.89	100000/-	
4	डंगनिया	564.89	50000/-	
5	न्यू राजेन्द्र नगर	524.54	100000/-	
6	तेलीबांधा	417.62	100000/-	
7	शंकर नगर	605.24	100000/-	
8	कुशालपुर	417.62	75000/-	
9	ईदगाह भाठा नया	503.72	75000/-	
10	चंगोराभाठा	503.72	75000/-	
11	टाटीबंध	542.47	100000/-	
12	कबीर नगर	542.47	50000/-	
13	हीरापुर, जरवाय	542.47	50000/-	
14	कोटा	542.47	75000/-	
15	लालपुर	542.47	75000/-	

---02-----

Scanned with OKEN Scanner

16	अमलीडीह	503.72	75000/-	
17	कृषि उपज मंडी	564.89	75000/-	
18	दलदलसिवनी	503.72	75000/-	
19	सड्डू	503.72	75000/-	

निविदा की समस्त शर्तो का हमारे द्वारा पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया गया है एवं सभी शर्ते हमें मंजूर है। **जिसके अनुसार निविदा दर में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि हमें स्वीकार है।** मैं यह भी घोषणा करता हूँ की मेरा या मेरी संस्था का नाम किसी भी विभाग में काली सूची में दर्ज नही है।

निविदाकर्ता एजेन्सी का नाम :–

हस्ताक्षर एवं पूर्ण नाम :–

पूर्ण पता :–

दूरभाष क. एवं मोबाइल क. :–

अमानति राशि रू. 50.00 हजार के एफ.डी.आर./DD का विवरण :–

Scanned with OKEN Scanner

रायपुर शहर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थलों में स्थापित पानी टंकी के रंग–रोगन के एवज में विज्ञापन अधिकार का कार्य हेतु आमंत्रित निविदा की शर्ते 22/11/22

1. निविदा द्वि–लिफाफा पद्धति से होगा। **लिफाफा 'अ'** (1) अमानत राशि का FDR/DD, जो किसी राष्ट्रीयकृत/निजी बैंक से जारी हुआ हो, (2) निविदा प्रपत्र के मूल्य का डी.डी. (3) विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (4) निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड की छायाप्रति (5) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति (6) पिछले 03 वर्ष के आयकर रिटर्न की छायाप्रति। **लिफाफा 'ब'** में निविदा दर डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र में अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अक्षरों में लिखकर रखना होगा। निविदादर में कांट–छाट नहीं होना चाहिए। दोनों लिफाफा को एक अलग से बड़े लिफाफा में भरकर सीलबंद कर जमा करना होगा। **सर्वप्रथम लिफाफा–'अ' खोला जायेगा, जिसमें समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न होने के पश्चात् ही संबंधित एजेंसी का लिफाफा 'ब' खोला जावेगा।**
2. निविदा हेतु प्रत्येक निविदाकार को एक निविदा फार्म भरना होगा, जिसमें अलग–अलग पानी टंकी हेतु अलग–अलग निविदा दर भरना होगा। प्रत्येक पानी टंकी के लिए जिस भी निविदाकार द्वारा अधिकतम् दर प्रस्तुत किया जायेगा, उसे सफल निविदाकार माना जायेगा अर्थात् अलग–अलग पानी टंकी हेतु अलग–अलग सफल निविदाकार हो सकते है।
3. निविदा हेतु अमानती राशि रू. 50.00 हजार का डिमांड ड्राफ्ट अथवा एफ.डी.आर. के रूप में जो जीवित हो, आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम से जमा करना होगा।
4. अमानती राशि डिमांड ड्राफ्ट अथवा एफ.डी.आर. के रूप में जो कि राष्ट्रीयकृत/निजी बैंक से जारी किया गया हो एवं जीवित हो आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम से जमा करना होगा।
5. अमानत राशि का एफ.डी.आर निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति स्वरूप रहेगी एवं जिस विज्ञापन एजेन्सी की निविदा स्वीकृत होगी, उसे छोड़कर शेष का जमा एफ.डी.आर. वापस कर दी जायेगी एवं जिसकी स्वीकृत होगी उनका एफ.डी.आर. निविदा अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार वापस की जावेगीं।
6. समस्त दस्तावेजों में निविदाकार का सील एवं हस्ताक्षर अनिवार्यताः होना चाहिएं अन्यथा की स्थिति में प्रस्तुत दस्तावेज मान्य नहीं किया जायेगा।
7. **दर स्वीकृत होने की सूचना प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर इकरारनामा करना होगा। निविदा इकरारनामा करा लेने के बाद ही पेंटिंग करने कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। इसके लिए पृथक से कार्यादेश जारी किया जायेगा। इकरारनामा न करने व कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा निविदा निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने की कार्यवाही की जा सकेगी। कार्यादेश जारी दिनांक से 01 माह का समय पेंटिंग करने एवं विज्ञापन प्रारम्भ करने हेतु दिया जायेगा एवं कार्यादेश जारी दिनांक से एक माह पश्चात् विज्ञापन हेतु शुल्क/टैक्स प्रारम्भ माना जावेगा।**
8. अनुबंध 05 वर्ष के लिए किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष समाप्ति पश्चात् स्वीकृत वार्षिक निविदा दर में 5 प्रतिशत की क्रमोत्तर वृद्धि की जावेगी। राशि निर्धारित अवधि में जमा न कराये जाने पर कुल देय राशि में प्रतिमाह 1 प्रतिशत की दर से अधिभार लिया जायेगा।
9. **निविदा 05 वर्ष के लिए आमंत्रित की गई है। परन्तु निविदा राशि निविदा प्रपत्र में प्रथम वर्ष के लिए भरनी होगी तथा प्रत्येक वर्ष समाप्ति पश्चात स्वीकृत वार्षिक निविदा दर में 05 प्रतिशत की क्रमोत्तर वृद्धि की जावेगी। निविदा स्वीकार होने पर 1 वर्ष का टैक्स/शुल्क में से, दर स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर 30% राशि जमा करना अनिवार्य है तथा शेष राशि 2 माह के भीतर जमा करना होगा। प्रत्येक आगामी वर्ष का शुल्क/टैक्स वर्ष प्रारंभ होने के 01 माह पूर्व वृद्धि सहित जमा करना होगा। राशि निर्धारित अवधि में जमा न कराये जाने पर कुल देय राशि में प्रतिमाह 1 प्रतिशत की दर से अधिभार लिया जायेगा। भुगतान तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार नगर निगम को होगा।**

क्रमशः पृष्ठ 02

Scanned with OKEN Scanner

10. पानी टंकी के बाहरी सरफेस का रंगरोगन एवं इसमें विज्ञापन कार्य के लिए **Revenue Sharing Model के आधार पर, 05 वर्ष की अवधि हेतु आमंत्रित की गई है।**
11. विज्ञापन का कार्य पानी टंकी के चकिय सतह पर किया जा सकेगा। जिसमें 50 प्रतिशत भाग पर निगम के द्वारा दिये गये निर्देश अनुरूप 2डी/3डी पेंटिंग/लेखन का कार्य करना होगा। शेष 50 प्रतिशत भाग पर एजेंसी विज्ञापन उपविधि 2012 के दिशा निर्देशों के अनुरूप विज्ञापन कार्य कर सकेगा।
12. टंकी के कॉलम एवं बीम में किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं किया जायेगा। लेकिन कॉलम, बीम में व्हाईट वाशिंग एवं पेंटिंग का कार्य भी करना होगा तथा पांच वर्ष तक टंकी एवं उसके स्ट्रक्चर का पेंट ठीक स्थिति में रखना होगा।
13. कार्य में लगने वाले सभी प्रकार के सामग्री एवं मशीनरी एजेंसी के द्वारा स्वयं प्रबंध किया जायेगा।
14. कार्य के दौरान कार्य स्थल को बेरिकेडिंग करना होगा।
15. नये स्थल पर पेंटिंग करते समय सभी प्रकार का सुरक्षात्मक उपाय किये जाने की जिम्मेदारी एजेंसी/संस्था/ठेकेदार की होगी, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो।
16. कार्यादेश प्राप्ति के उपरांत समस्त आवश्यक संधारण का कार्य यथा—साफ—सफाई, रंग—रोगन इत्यादि कार्य निविदाकार को स्वयं के व्यय से निगम के निर्देशानुसार करना होगा ।
17. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
18. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के पास सुरक्षित है।
19. निविदा प्राप्तकर्ता एजेंसी द्वारा पानी टंकी पर प्रचार—प्रसार करने के अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति/एजेंसी/फर्म को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा।
20. निविदाकार एजेंसी स्थापित पानी टंकी में, शासन द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं एवं अश्लील विज्ञापनों का प्रदर्शन नहीं करेगा।
21. निविदाकार किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय या नगरीय निकाय आदि में कालीसूची में दर्ज न हो ।
22. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।
23. कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालयीन दिवस एवं समय पर नगर पालिक निगम, रायपुर मुख्यालय भवन के रूम नं. 311 स्थित नगर निवेश शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
24. निविदा दर जी.एस.टी. सहित माना जायेगा। इसके लिए अलग से जी.एस.टी. राशि एजेंसी के द्वारा देय नहीं होगा।
25. विज्ञापन कार्य के संबंध में आदर्श विज्ञापन उपविधि 2012 में दिये गये नियम/शर्तो का पालन करना होगा, उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निविदा निरस्त करने संबंधी कार्यवाही की जायेगी।
26. विज्ञापन नहीं होने के समय बोर्ड पर "मोर रायपुर" का लोगो प्रदर्शित किया जाना होगा।

उपरोक्त शर्तो मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आयुक्त, नगर निगम द्वारा 15 दिनों का नोटिस दिया जाकर अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

नगर पालिक निगम
नगर निवेश विभाग
रायपुर

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम, रायपुर

Scanned with OKEN Scanner